राजस्थान सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर–302015

फोन नम्बर 0141–2973804 2988946 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक : प.28/पैरामेडि.कौं/संस्था./अधि./2019//283 दिनांक :– 9/7/19

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

राज्य में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल का गठन पैरामेडिकल शिक्षा व प्रशिक्षण में गुणवत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा राज्य में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संस्थानों को मान्यता, संबद्धता, काउन्सिलिंग, प्रवेश, नामांकन, परीक्षा आदि का कार्य समपदित किया जाता है, जिसके संबंध में कई बार विभिन्न न्यायालयों वाद व रिट पिटीशन आदि दायर की जाती हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के विरूद्ध रिट पिटीशन/अपील आदि में कौंसिल का पक्ष प्रभावी रूप से रखे जाने हेतु अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाना है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में 5 वर्ष या अधिक समय से राजकीय अधिवक्ता अथवा 10 वर्ष से अधिक अनुभव धारित करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें समान क्षेत्र यथा विश्वविद्यालय, अन्य कौंसिल, परिषद आदि में पक्ष रखने का पूर्ण अनुभव हो, से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में Empanelment हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से दिनांक 16 जुलाई, 2019 तक कौंसिल को उपर्युक्त पते पर प्रेषित किया जा सकते हैं।

Empanelled अधिवक्ता को प्रति प्रकरण एकमुश्त मानदेय राशि रू. 11000 एवं अन्य खर्चे नियमानुसार भुगतान किये जावेंगे। यदि Empanelled अधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में कार्यरत हैं, तो उन्हें नियमानुसार यात्रा व्यय पुनर्भरण व एक दिवस से अधिक के प्रवास के लिए रू. 1000 का दैनिक भत्ता भी देय होगा।

Empanelled अधिवक्ता को कार्य में उदासीनता हाने के स्थिति में किसी भी समय emapnelled से हटाया जा सकता है, जिसमें कौंसिल का निर्णय अन्तिम होगा।

यह राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में सक्षम स्तर से अनुनोदित है।

9/7/19
(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांक : प.28/पैरामेडि.कौं/संस्था./अधि./2019/12–83 दिनांक :– 9/7/19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
2. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस सूचना को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करावें।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इस सूचना को कौंसिल की वैबसाइट पर अपलोड करावें।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
5. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली

9/7/19
रजिस्ट्रार